भारत में कचरे से जुड़े नियम

कानून और नीतियाँ ठोस कचरा प्रबंधन में कचरा उठाने वालों तथा कबाड़ियों को शामिल करते हैं

कचरा बीनने वालों को जरूर घर-घर से कचरा उठाने का काम दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 1999 में गठित समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया (भारत के प्रथम वर्ग श्रेणी के शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन) बिंदु 3.4.7 से 3.4.8 (पेज 34)

कलेक्शन केंद्र का मतलब होता है एक ऐसा केंद्र जो या तो अकेले या मिलजुलकर या पंजीकृत संस्था द्वारा या नियुक्त की गयी एजेंसी या कंपनी या इलैक्ट्रॉनिक - कचरा इकठ्ठा करने वाली संघ के द्वारा स्थापित किया गया हो

– इलैक्ट्रॉनिक कचरा (प्रबंधन व रखरखाव), नियम 2011; इस नियम में अनौपचारिक क्षेत्र को भी इस समझ के साथ जोर देते हुए शामिल किया गया है कि यह संघ कलेक्शन केंद्रों के रूप में भी काम कर सकती हैं क्योंकि ये अनौपचारिक क्षेत्र की संस्थाओं का ही एक रूप होती हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में विभिन्न कूड़े के पदार्थों को इकठ्ठा करने तथा पुनर्चक्रण करने की प्रणाली को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए, खासतौर से संस्थागत वित्त और उचित तकनीकों तक उनकी पहुँच बढ़नी चाहिए।

– राष्ट्रीय पर्यावरण नीति-2006, (भाग 5.2.8, बिंदु (ई) पेज 36)

हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र सफलता की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने वाली भारत की पुनर्चक्रण प्रणालियों की रीढ़ है दुर्भाग्य से नगर पालिका के कई सारे नियम पुनर्चक्रण करने वालों के काम में बाधा डालते हैं जिसके कारण वे वित्तीय मदद तथा संशोधित पुनर्चक्रण तकनीकों के अभाव में बहुत छोटे स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं।

– जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2009, शहरी स्थिरता पर मिशन

नगर निगमों को कचरा प्रबंधन पर काम करने वाली एजेंसियों व समूहों तथा कचरा उठाने वालों को अपने साथ जोड़ना चाहिए।

– प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन व रखरखाव), नियम 2011, भाग 6, (सी)

राज्यों के पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों को कचरा उठाने वालों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि पुनर्चक्रण के कामों को और ज़्यादा संगठित किया जा सके तथा उनकी कार्य-स्थितियों को सुधारा जा सके।

– भारत में नगर पालिका के ठोस कचरा प्रबंधन पर कैग (सी.ए.जी.) का ऑडिट (अध्याय 3, भाग 3.5)

फिर भी ज़मीनी सच्चाई पर हमें अलग रखा गया है

आइए इस अंतर को मिटाएं

चिंतन
पर्यावरण शोध एवं कार्य समूह

सभी के लिए समावेशी, स्थायी एवं समान विकास

सी-14, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-भाग 3, नई दिल्ली-110024
टेलिफ़ोन: 91-11-46574171/72/73, फ़ैक्स: 46574174
वेबसाइट: www.chintan-india.org, ई-मेल: info@chintan-india.org